

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(3)पदो/अभि/22/1070-1109 दिनांक: 26/09/2023

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की वर्ष 2022-23 के विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न मंत्रालयिक कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	चयन वर्ष जिस पर चयन की सिफारिश की गई।	चयन पर वरिष्ठता जहां निर्धारित की गई
01.	श्री मनोहर लाल मीणा पुत्र श्री संग्राम सिंह (अ.ज.जा)	2022-23 रिक्ति की दिनांक 01.04.2022	श्री देवीलाल शर्मा के नीचे रहेगी।

उक्त पदोन्नति वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई शेष अनुशंषाओं को यथावत रखा गया।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित कार्मिक का चयन वर्ष 2022-23 में किया गया है का वेतन पदोन्नति संबन्धी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. उप/सहायक निदेशक अभियोजन.....
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष।
06. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2023.09.26 17:16:26 IST
Reason: Approved

